

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

30प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2025

विषय: प्रदेश में हीटवेव (लू) से बचाव के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक करने हेतु वर्ष 2025 में गर्मी के मौसम में एक माह प्रदेश में रेडियो एफ0एम0 के जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं0-8231/रा0आ0का0/2025-26, दिनांक 02.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से प्रदेश में हीटवेव (लू) से बचाव के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक करने हेतु दिनांक 10 मई, 2025 से एक माह तक प्रदेश में रेडियो एफ0एम0 के जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने के सम्बन्ध में डी0ए0वी0पी0 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर धनराशि रू0 63,45,981/- उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 06.05.2025 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक में प्राप्त संस्तुति के क्रम में प्रदेश में हीटवेव (लू) से बचाव के सम्बन्ध में जनसामान्य को जागरूक करने हेतु वर्ष 2025 में गर्मी के मौसम में एक माह प्रदेश में रेडियो एफ0एम0 के जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु डी0ए0वी0पी0 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रू0 63,45,981/- (तिरसठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ इक्यासी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 63,45,981/- (तिरसठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ इक्यासी) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

Digitally signed by भवदीय,

SHAIENDRA MANI TRIPATHI

Date: 14-05-2025 18:01:30

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या:-505(1)/एक-10-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र०
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/05/2025

प्रेषण संख्या:- 505
आवंटन आदेश संख्या:- 001-505
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	6345981 38301981	6345981 38301981
	योग	वर्तमान प्रगामी	6345981 38301981	6345981 38301981

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरेसठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ इक्यासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तिरासी लाख एक हजार नौ सौ इक्यासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।